सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2002 में सुधार - निर्णय का संक्षिप्त विवरण

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार ने सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2002 (परिवहन मानदंडों) में सुधार का निर्णय लिया है। यह दस्तावेज़ सुधार प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण और सुधारों का सारांश प्रदान करता है।

## संदर्भ

15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले, छः में से एक अक्षम व्यक्ति को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में कठिनाई होती है। सार्वजनिक परिवहन तक पहुँच ऑस्ट्रेलियाई लोगों को काम करने या पढ़ने, परिवार और दोस्तों से मिलने जाने, तथा स्वास्थ्य देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँचने में सक्षम बनाती है। सार्वजनिक परिवहन की अनुकूल सुलभता के बिना भेदभाव उत्पन्न हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया में, सार्वजनिक परिवहन के संचालकों और प्रदाताओं के लिए आवश्यक है कि वे अपनी सेवाओं को अक्षमता वाले लोगों के लिए सुलभ बनाएँ। इसकी व्यवस्था, सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड 2002 (परिवहन मानदंडों) के माध्यम से की जाती है। इन परिवहन मानदंडों को *अक्षमता भेदभाव अधिनियम 1992* (*Disability Discrimination Act 1992)* (डीडीए) के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2019 में, राज्यों, टेरीटोरीज़ तथा कॉमनवैल्थ के आधारभूत संरचना और परिवहन मंत्रियों में, यह निश्चित करने के लिए परिवहन मानदंडों में सुधार पर सहमति हुई थी कि ये मानदंड पर्याप्त और प्रभावशाली हों, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही हों, और ऑस्ट्रेलियन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें।

## प्रक्रिया

सुधार की यह प्रक्रिया दो चरणों में हुई थी। चरण 1 में सुधार के 16 क्षेत्रों की पहचान की गई, और 2021 के शुरुआती महीनों में सार्वजनिक विचार सभाओं का आयोजन किया गया था। इन मंत्रणाओं से मिले फीडबैक का उपयोग चरण 1 के निर्णय नियमन प्रभाव वक्तव्य (आरआईएस) को तैयार करने में किया गया था, जिस पर मंत्रियों ने फरवरी 2022 में विचार किया था। चरण 2 में सुधार के 60 क्षेत्रों पर और संपूर्ण सुधारों (चरण 1 और चरण 2) को लागू करने की व्यवस्थाओं के बारे में विचार किया गया था। 2022 के मध्य में सार्वजनिक विचार सभाओं का आयोजन किया गया था। इन मंत्रणाओं से मिले फीडबैक का उपयोग चरण 2 के निर्णय आरआईएस को तैयार करने में किया गया था, जिस पर मंत्रियों ने जून 2023 में विचार किया था। और अधिक जानकारी, इस विभाग की वेबसाइट: [infrastructure.gov.au/transport-accessibility](http://www.infrastructure.gov.au/transport-standards-reform) पर उपलब्ध है।

## सुधारों के लिए विकल्प

सुधार के हर क्षेत्र के लिए, नीति के तीन विकल्पों का प्रस्ताव रखा गया:

* **नियामक -** नई आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए परिवहन मानदंडों में क़ानूनी बदलाव किया जाए।
* **ग़ैर-नियामक -** परिवहन मानदंडों के समर्थन के लिए दिशा-निर्देश सामग्री की व्यवस्था।
* **यथा-स्थिति -** परिवहन मानदंडों या दिशानिर्देश सामग्री में कोई भी बदलाव नहीं किया जाए।

जनता की प्रविष्टियों (सब्मिशन्स) तथा लागत-लाभ विश्लेषण के आकड़ों सहित, सभी उपलब्ध प्रमाणों का विश्लेषण करने के बाद, प्रत्येक सुधार क्षेत्र के लिए एक नीति का विकल्प चुना गया। चरण 1 और चरण 2 के निर्णय आरआईएस, चुने गए विकल्पों का औचित्य बताते हैं, जो कि डीडीए तथा परिवहन मानदंडों के व्यापक लक्ष्य के लिए नई या अपडेटेड आवश्यकताओं के नियामक प्रभावों को संतुलित करते हैं।

कुल मिलाकर, 76 सुधार हैं, जिनमें शामिल हैं, वे नियामक सुधार जो नई तथा बहुत अधिक अपडेट की गई संपत्तियों पर लागू होते हैं (30 सुधार), वे नियामक जो पहले से विद्यमान संपत्तियों पर लागू होते हैं (19 सुधार), वे नियामक सुधार जो प्रारंभ पर लागू होते हैं (4 सुधार), तथा उन दिशा-निर्देशों में परिवर्तन जो परिवहन मानदंडों में सहायक हैं (16 सुधार)। कुछ मामलों में, समस्या का पैमाना और दायरा या समस्या पर ध्यान देने के लिए अधिक उचित समाधान हैं या नहीं यह तय करने के लिए और अधिक काम करने की ज़रुरत है (7 सुधार)। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा अतिरिक्त शोध तथा संबंधित हितधारकों से लक्षित मंत्रणा की जाएगी।

## लागू करना

नियामक सुधारों को लागू करने के लिए तीन विकल्पों पर पर ध्यान दिया गया:

* **नई तथा बहुत ज़्यादा अपग्रेड की गई संपत्तियाँ -** सभी नई संपत्तियों के लिए ये नई आवश्यकताएँ लागू होंगी तथा यदि किसी संपत्ति में बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है, तो केवल उन्हीं संपत्तियों पर ये नई आवश्यकताएँ लागू होंगी जो वर्तमान में सेवारत हैं। मंत्रणा के परिणामों के आधार पर, यह तरीका उन स्थितियों के लिए अपनाया गया है जब नई आवश्यकताओं को लागू करना जटिल, अधिक क़ीमत वाला होगा या इन्हें लागू करने के लिए किसी संपत्ति को लंबित अवधि तक सेवा से बाहर रखा जाएगा।
* **अनुपालन सारणी वाली, पहले से विद्यमान संपत्तियाँ -** ये नई आवश्यकताएँ, पूर्व निर्धारित समय-सीमाओं के अनुसार, सभी नई तथा वर्तमान में सेवारत सभी संपत्तियों पर लागू होंगी। मंत्रणा के परिणामों के आधार पर, यह तरीका उन स्थितियों के लिए अपनाया गया है जब नई आवश्यकताओं को करने में कम या ठीक-ठाक क़ीमत लगेगी तथा सेवाओं में अत्यधिक बाधा के बिना ऐसा किया जा सकेगा।
* **प्रारंभ के समय -** नई आवश्यकताएँ, उस तिथि से लागू होंगी जिस तिथि को परिवहन मानदंड लागू होंगे। मंत्रणा के परिणामों के आधार पर, लागू करने का यह तरीका उन स्थितियों के लिए अपनाया गया है जिनमें एक नियामक विकल्प, पारिभाषिक या अनियामक बदलावों से संबंधित है, जिससे समुदाय तथा उद्योग को तुरंत लाभ होगा।

ग़ैर-नियामक सुधारों को, पहुँचने योग्य (एक्सेसबल) सार्वजनिक परिवहन दिशा-निर्देशों के लिए अक्षमता मानदंडों तथा होल जर्नी गाइड में अपडेट्स के माध्यम से लागू किया जाएगा।

मौजूदा संपत्तियों पर जो 19 सुधार लागू होते हैं उन पर अमल करने के लिए योजना बनाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के, राज्यों और टेरीटिरीज़ की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। यदि इस बारे में सहमति बन जाती है, तो वे योजनाएँ समयसीमा निर्धारित करने के लिए एक वैकल्पिक कार्यान्वयन विकल्प के रूॡ में उपलब्ध होंगी।

## अगले क़दम

जहाँ एक क़ानूनी परिवर्तन पर सहमति हुई है वहाँ सुधारों को झलकाने के लिए परिवहन मानदंडों को अपडेट किया जाएगा। ये अपडेट्स वो नई आवश्यकताएँ बन जाएँगी जिनको पूरा करना, सार्वजनिक परिवहन संचालकों और प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होगा। अपडेटेड क़ानून का मसौदा तैयार हो जाने के बाद उसे ऑस्ट्रेलियाई संसद के समक्ष रखा जाएगा। संसद में पेश किया जाने के बाद यह अपडेटेड परिवहन मानदंड लागू हो जाएँगे। परिवहन मानदंडों में परिवर्तन के अतिरिक्त, परिवहन मानदंडों की समर्थनकारी दिशा-निर्देश सामग्री में बदलावों पर भी सहमति हुई है। इस सहायक सामग्री में उस समय बदलाव किया जाएगा जब क़ानून में बदलाव किये जाएँगे। अपडेटेड परिवहन मानदंडों के लागू होने से पहले और अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसमें सुधारों के माध्यम से किए जाने वाले जिन कामों पर सहमति हुई है उनकी प्रगति के बारे में जानकारी भी शामिल होगी।

आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, [DisabilityTransport@infrastructure.gov.au](ईमेलकरें:DisabilityTransport@infrastructure.gov.au) पर हमें ईमेल भेजकर या [**1800 621 372**](टेलि:1800621372)पर फ़ोन करके नवीनतम जानकारी से अवगत रह सकते हैं।

## सुधारों का संक्षिप्त विवरण

सुधार के क्षेत्रों, सहमत विकल्पों तथा लागू करने की व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए, चरण 1 और चरण 2 के निर्णय आरआईएस देखें: [www.infrastructure.gov.au/transport-standards-reform](http://www.infrastructure.gov.au/transport-standards-reform)।

### चरण 1 के सुधार क्षेत्र

| **#** | **सुधार क्षेत्र** | **विवरण** | **सहमत विकल्प** | **लागू करने का करने का तरीका** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | कर्मचारी प्रशिक्षण तथा संपर्क | कर्मचारियों के विशेष पदों तथा ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अक्षमता जागरूकता प्रशिक्षण करने की आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 2 | गतिशीलता साधन (मोबिलिटी एड) सुरक्षा | गतिशीलता साधन (मोबिलिटी एड) की डिज़ाइन बनाने वालों को परिवहन साधनों में गतिशीलता साधनों (मोबिलिटी एड्स) की सुरक्षात्मकता में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 3 | प्राथमिकता वाली सीटें | प्राथमिकता वाली सीटों की मात्रा, स्थान और पहचान से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 4 | आवंटित स्थान | सार्वजनिक परिवहन वाहनों में संबंधित सुलभ रास्तों सहित कुशलता से चलाने के लिए जगहों सहित, आवंटित स्थानों की लंबाई-चौड़ाई, स्थान और उपयोग से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक, उप-विकल्प 3 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 5 | डिजिटल सूचना स्क्रीनें | डिजिटल स्क्रीनों के लिए स्थान, लूमिनेंस कॉन्ट्रास्ट तथा पोलराइज़ेशन आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 6 | लिफ्ट्स | चरण 1, सुधार क्षेत्र 6 लिफ्टों का स्थान चरण, चरण 2 के सुधार क्षेत्र 34 और 18 ने ले लिया। | लागू नहीं - चरण 2 में सम्मिलित किया गया | लागू नहीं |
| 7 | वेबसाइट सुलभता | वेबसाइटों के लिए पहुँच (डब्ल्यूसीएजी) आवश्यकताएँ तय करना | नियामक, उप-विकल्प 3 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 8 | सेवा में बाधा के दौरान संवाद | बाधा का विवरण और कई प्रकार के फोरमेटों (तरीकों) में यात्रा के वैकल्पिक विकल्पों के बारे में बताने से संबंधित आवश्यकताएँ | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 9 | उँचे उठे हुए प्लेटफॉर्म्स (रास्ते) | अत्यधिक भीड़ वाले समय में अधिकतम ढलान की आवश्यकता | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 10 | सहायक पशु मल-मूत्र विसर्जन सुविधाएँ | सहायक पशु मल-मूत्र विसर्जन सुविधाओं के लिए स्थान, संरचना और सूचना की व्यवस्था के बारे में दिशा-निर्देश | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 11 | आपात-स्थिति निकास | सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढाँचे से संबंधित, आपात-स्थिति निकास के बारे में दिशा-निर्देश | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 12 | उद्देश्य के अनुसार निर्मित पहुँच मार्ग | यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश कि पहुँच मार्ग उद्देश्य के अनुसार निर्मित हों, जिसमें शामिल है (किंतु इन्ही तक सीमित नहीं), डिज़ाइन के सार्वभौमिक सिद्धांत, निरंतर सुलभता और भविष्य में माँग के अनुमान वाले। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 13 | रास्ता ढूँढना | वस्तुओं का चमक विरोधाभास (लुमिनेंस कॉन्ट्रास्ट), ज़मीन की सतह के सुनियोजित सूचना पट्टों (साइन बोर्ड्स) का उपयोग तथा ब्रेल और सुनियोजित साइन लगाने से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 14 | ज़मीन की सतह के सुनियोजित संकेतक (टीजीएसआईज़) | ज़मीन की सतह के दिशात्मक सुनियोजित सूचना पट्टों (साइन बोर्ड्स) (टीजीएसआईज़) के लिए डिज़ाइन संबंधी आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 15 | यात्रियों के चढ़ने के ज़ोन | सार्वजनिक परिवहन स्थल पर यात्रियों के चढ़ने वाले ज़ोन में वाहन की पहली और अंतिम जगह के पहुँच योग्य (एक्सेसेबल) होने की आवश्यकताएँ। | नियामक, उप-विकल्प 2 | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 16 | सूचना का कई प्रकार के प्रारूपों में प्रावधान | यह आवश्यकता है कि ऑनलाइन सूचना ही, सूचना प्रदान करने का एकमात्र जरिया न हो। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 17 | ऑस्ट्रेलियन मानदंडों में और परिभाषा संबंधी संशोधन | परिवहन मानदंडों को, सभी संबंधित ऑस्ट्रेलियन मानदंडों के संदर्भ में अपडेट किया जाएगा। | नियामक | अन्य (निर्णय आरआईएस का कार्यान्वयन अध्याय देखें)। |

### चरण 2 के सुधार क्षेत्र

| **#** | **सुधार क्षेत्र** | **विवरण** | **सहमत विकल्प** | **लागू करने का करने का तरीका** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | रिपोर्टिंग | संचालकों और प्रदाताओं के लिए, उन योजनाओं को बनाने और प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देश कि वे, परिवहन मानदंडों का कैसे पूरा कर रहे हें, और उनको पूरा करने की तरफ कैसे अग्रसर हो रहे हैं। रिपोर्टिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | ग़ैर-नियामक | स्व-निहित (स्टैंडअलोन) दिशा-निर्देश |
| 2 | समान पहुँच | समान पहुँच के लिए समाधानों (उदाहरण के लिए मामले) का एक वेब-आधारित केन्द्रीकृत संग्रहण स्थान। | ग़ैर-नियामक | स्व-निहित (स्टैंडअलोन) दिशा-निर्देश |
| 3 | राइडशेयर | राइड शेयर सहित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन की संपूर्ण समीक्षा करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा, समस्या का दायरा इंडस्ट्री द्वारा तय किया जाएगा। | यथा-स्थिति | लागू नहीं |
| 4 | स्कूलों के लिए आरक्षित बसें | समस्या का स्तर समझने के लिए आगे और काम किया जाएगा। | यथा-स्थिति | लागू नहीं |
| 5 | सुलभता (एक्सेसबिलिटी) के तत्वों का बेहतर तरीके से प्रस्तुतीकरण | संचालकों द्वारा उपयोग की जाने वाली, सुलभता (एक्सेसबिलिटी) की शब्दावली को निर्धारित करने की आवश्यकताएँ और सार्वजनिक परिवहन परिसरों और वाहनों के सुलभता (एक्सेसबिलिटी) के तत्वों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 6 | उपयुक्त समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाना | यह आवश्यकता कि, सूचना को जिन प्रारूपों में अक्सर नहीं मांगा जाता है (जैसे कि बड़ा प्रिंट) उन प्रारूपों में यदि तुरंत संभव न हो, तो उपयुक्त समयावधि में प्रदान किया जाए। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 7 | रीयल टाइम संवाद (जब कुछ हो रहा हो तो उसे समय बताना) | सार्वजनिक परिवहन के संचालकों और प्रदाताओं को, यात्रियों के साथ रीयल टाइम संवाद (जब कुछ हो रहा हो तो उसे समय बताना) को बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 8 | यात्रा के दौरान यात्रियों की लोकेशन | यह आवश्यकता कि, यात्रा के दौरान यात्रियों को यह बताना कि वे किस स्थान पर हैं। | नियामक, उप-विकल्प 1 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 9 | परिवहन साधनों में श्रवण संवर्धन (हियरिंग आग्मेंटेशन) | सार्वजनिक परिवहन जहाँ से संचालित होता है वहाँ पर श्रवण संवर्धन (हियरिंग आग्मेंटेशन) प्रणालियों को लगाने की संभावना तथा उभरते डिजिटल सामाधानों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | यथा-स्थिति | लागू नहीं |
| 10 | श्रवण संवर्धन (हियरिंग आग्मेंटेशन): परिसरों में बुनियादी ढाँचा | सार्वजनिक परिवहन जहाँ से संचालित होता है वहाँ पर श्रवण संवर्धन (हियरिंग आग्मेंटेशन) प्रणालियों को लगाने की संभावना तथा उभरते डिजिटल सामाधानों की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | यथा-स्थिति | लागू नहीं |
| 11 | छपाई का आकार तथा प्रारूप | दस्तावेज़ों के लिए छपाई के आकार, प्रारूप और कॉन्ट्रास्ट से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 12 | पहुँच (एक्सेस) और बधिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह | सूचना पट्टों (साइन बोर्ड्स) पर, पहुँच (एक्सेस) और बधिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिन्हों के आकार से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक, उप-विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 13 | सूचना पट्टों (साइन बोर्ड्स) पर, अक्षरों की लंबाई और लूमिनैंस कॉन्ट्रास्ट (चमक विरोधाभास) | सूचना पट्टों (साइन बोर्ड्स) पर, पहुँच (एक्सेस) और बधिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिन्हों के आकार से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक विकल्प 2, उप-विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 14 | सूचना पट्टों (साइनों) के स्थान | सूचना पट्टों (साइनों) के स्थानों से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक, उप-विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 15 | उभरी हुई ब्रेल (छापी हुई) का विशेष विवरण | छपाई वाले प्रारूपों में ब्रेल के स्तर से संबंधित आवश्यकताएँ। तकनीकी विवरणों का अंतिम रूप निर्धारित करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | सैद्धांतिक रूप से नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 16 | सूचना पट्टों (साइन्स) के लिए ब्रेल तथा स्पर्श किए जा सकने वाले शब्द | ब्रेल तथा स्पर्श किए जा सकने वाले शब्दों वाले सूचना पट्टों (साइन्स) की डिज़ाइन से संबंधित आवशयकताएँ। तकनीकी विवरणों का अंतिम रूप निर्धारित करने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | सैद्धांतिक रूप से नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 17 | लिफ्ट्स - सूचना पट्टों (साइन्स) पर ब्रेल तथा स्पर्श किए जा सकने वाले शब्द होना | लिफ्ट्स जिस जगह पर उतरती हैं वहाँ, जिस प्लेटफार्म पर लिफ्ट उतरती है उसका विवरण देने वाले, ब्रेल तथा स्पर्श किये जा सकने वाले शब्दों वाले सूचना पट्ट (साइन्स) | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 18 | लिफ्ट्स- सुनकर रास्ता ढूँढना | यह आवश्यकताएं कि लिफ्ट कारों में ऐसी उद्घोषणाएँ उपलब्ध हों जिन्हें सुनकर रास्ता ढूँढा जा सके। | नियामक, विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 19 | लिफ्ट्स - लिफ्ट कारों में आपातस्थिति संवाद प्रणालियाँ | सुनने या बोलने की कमज़ोर हो चुकी क्षमता वाले यात्री आपात-स्थिति में लिफ्ट से संवाद कर सकें उससे संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 20 | लिफ्ट्स - लिफ्ट कारों में संवाद तथा सूचना प्रणालियों के लिए संदर्भ। | पहुँच योग्य लिफ्ट कारों में संवाद तथा सूचना प्रणालियों के सर्वश्रेष्ठ तरीकों के बारे में दिशा-निर्देश। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 21 | सूचना तथा संचार तकनीकियों (आईसीटी) की प्राप्ति | आईसीटी की प्राप्ति में सुगम पहुँच से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक, विकल्प 1 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 22 | मोबाइल वेब प्रणालियाँ | आवश्यकता है कि संचालक या प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाएँ तकनीक से जुड़ी आवश्यकताओं (डब्ल्यूसीएजी) को अवश्य पूरा करें। | नियामक, विकल्प 1 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 23 | किराया प्रणाली के पहुँच योग्य (एक्सिसेबल) साधन | किराया प्रणाली के साधनों (जैसे कि टिकट देने वाली मशीनों) का उपयोग करने के लिए उनके पहुँच योग्य एक्सेसबल होने से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक विकल्प 2, उप-विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 24 | अक्षम व्यक्तियों के पहुँच योग्य रास्तों पर दरवाज़े | यह आवश्यकता कि ट्रेनों के यूनिसेक्स सुलभ शौचालय के दरवाज़े अवश्य ही बिजली से खुलते या बंद होने वाले (आटोमेटिक) हों। | नियामक, विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 25 | अक्षम व्यक्तियों के पहुँच योग्य रास्तों पर निरंतर एक्सस | यह आवश्यकता कि अक्षम व्यक्तियों के पहुँच योग्य रास्ते ऐसे होना आवश्यक है जिन पर निरंतर आवागमन हो सके। | नियामक | प्रारंभ हो रहा है |
| 26 | अक्षम व्यक्तियों के पहुँच योग्य रास्तों पर उभरे हुए गैप्स | उभरे हुए गैपों को कम से कम करने और अच्छी डिज़ाइन के लिए प्रोत्साहन और उभरे हुए गेपों पर से सुरक्षित निकला जा सके इससे संबंधित दिशा-निर्देश। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 27 | आराम करने के स्थान | पहुँच योग्य लंबे मार्गों पर आराम करने की जगहों से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 28 | ऊपर से जाने वाले पुलों और ज़मीन के नीचे बने रास्तों में रेलिंग (हैंडरेल्स) से संबंधित आवश्यकताएँ | यह आवश्यकताएँ कि पुलों और ज़मीन के नीचे बने रास्तों पर, विशेष स्थितियों के अलावा, कन्टीन्यूअस (एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार) रेलिंग लगी हुई हो। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 29 | किराया प्रणाली के साधनों के स्थान | किराया प्रणाली के साधनों (जैसे कि टिकट देने वाली मशीनों) के स्थान से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 30 | प्रतीक्षा स्थलों पर आवंटित स्थान और प्राथमिकता सीटें। | प्रतीक्षा स्थलों पर आवंटित स्थानों और प्राथमिकता सीटों की सँख्या से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 31 | अक्षम लोगों के पहुँच योग्य, बाँये और दाँये, दोनों तरफ समान अनुपात में कन्फिगुरेशन वाले शौचालय | यह आवश्यकताएं कि नई ट्रेनों में ऐसे पहुँच योग्य शौचालय होना अनिवार्य है जिनमें बाँये और दाँये, दोनों तरफ समान अनुपात में कन्फिगुरेशन हों (इसमें सहारे के लिए रेलिंग का खाका लेआउट, और दरवाज़े के हत्थे भी शामिल हैं)। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 32 | पहुँच योग्य शौचालयों में आपात-स्थिति कॉल बटन | पहुँच योग्य शौचालयों में आपात-स्थिति कॉल बटनों के प्रावधान से संबंधित दिशा-निर्देश। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 33 | एम्बुलैंट शौचालय | एम्बुलैंट शौचालयों कि लगाने से संबंधित दिशा-निर्देश, जिनमें डिज़ाइन पर विचार करना भी शामिल है। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 34 | लिफ्ट की विवरण तथा वृद्धि | वर्तमान प्रारूप के संदर्भ में ऑस्ट्रेलियन मानदंडों को अपडेट करना। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 35 | एस्कलेटर्स और इन्क्लाइंड ट्रेवलेटर्स (स्वतः गतिशील पदमार्ग) | एस्कलेटर्स और स्वतः गतिशिल पदमार्गों के लिए न्यूनतम चौड़ाई से संबंधित विवरण की आवश्यकताएँ तथा यह आवश्यकताएं कि यात्रियों के लिए पहुँच हेतु केवल यही चीज़ें न हो। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 36 | खंभे, चीज़ें और लुमिनैंस कॉन्ट्रास्ट | यह आवश्यकताएं कि खंभे तथा अन्य चीज़ों की छाया पहुँच मार्गों पर हरगिज़ नहीं पड़ें और वे लुमिनैंस के न्यूनतम कॉन्ट्रास्ट की विशेष ज़रुरतों को पूरा करते हों। | नियामक  नियामक विकल्प 1, उप-विकल्प 1 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 37 | प्रकाश (लाइटिंग) | यह आवश्यकताएँ कि सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं में उश स्तर का प्रकाश उपलब्ध करवाया जाना चाहिए जिससे सुरक्षा और सुलभता (एक्सेसबिलिटी) सुनिश्चित हो सके। | नियामक,  विकल्प 1 | प्रारंभ हो रहा है |
| 38 | चढ़ने (बोर्डिंग) यंत्रों का आग्रह करने के लिए संकेत और प्रक्रियाएँ | सार्वजनिक परिवहन वाहनों में चढ़ने (बोर्डिंग) यंत्रों का आग्रह करने के लिए संकेतों और प्रक्रियाओं से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक, विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 39 | यात्री द्वारा चढ़ने (बोर्डिंग) के यंत्र की ज़रूरत की सूचना | संचालकों और प्रदाताओं को इस बारे में दिशानिर्देश कि जो यात्री चढ़ने (बोर्डिंग) के यंत्र की ज़रूरत की सूचना देते हैं उनकी कैसे सहायता की जाए, यह देखते हुए कि बिना बुकिंग वाली सेवाओं में, यात्रियों द्वारा चढ़ने (बोर्डिंग) में सहायता की ज़रूरत के बारे में 'रीअल टाइम' में बताया जा सकता है। | ग़ैर-नियामक, उप-विकल्प 1 | परिवहन मानदंड दिशा-निर्देश |
| 40 | चढ़ने (बोर्डिंग) के लिए पोर्टेबल रैम्पों के किनारों पर अवरोधक | चढ़ने (बोर्डिंग) के लिए पोर्टेबल रैम्पों के लिए डिज़ाइन की आवश्यकताएँ। | नियामक  विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 41 | चढ़ने (बोर्डिंग) के रैम्प तथा हटाये जा सकने वाले मार्गों की परिभाषाएँ | चढ़ने (बोर्डिंग) के रैम्पों तथा हटाये जा सकने वाले मार्गों के लिए नई परिभाषाओं का समावेशन (निम्नांकित सुधार से सम्बद्ध) | नियामक | प्रारंभ हो रहा है |
| 42 | हटाये जा सकने वाले मार्गों की डिज़ाइन - बड़ी नावें | हटाये जा सकने वाले मार्गों की डिज़ाइन और निर्माण के लिए आवश्यकताएँ। व्यवसायिक नौकाओं के लिए राष्ट्रीय मानदंड भाग C1 (डिज़ाइन और निर्माण - प्रबंध, स्थान और व्यक्तिगत सुरक्षा) में प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखते हुए, एक पुनरीक्षित नियामक विकल्प तैयार करने का निर्णय लेने के लिए एक वर्किंग समूह बनाया जाएगा। | सैद्धांतिक रूप से नियामक | अन्य (वर्किंग समूह) |
| 43 | सहायता के साथ चढ़ने (बोर्डिंग) के नामंकित स्थान | चढ़ने (बोर्डिंग) के नामंकित स्थानों पर सीधे तथा स्वतंत्र रूप से चढ़ने का प्रावधान अवश्य उपलब्ध होना चाहिए। | नियामक विकल्प 1,  उप-विकल्प 5 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 44 | लीड स्टॉप्स की पहचान | बस अड्डों, बस इंटरचेंजों (जहाँ कई बसें आकर रुकती हैं) और बस ज़ोन्स में लीड स्टॉप्स की पहचान करने से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 45 | बुनियादी ढाँचे पर नौका-सेतु से चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थान | यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश कि नौका-सेतु से चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थानों पर अधिकतम स्थिरता हो और जिन परिस्थितियों में उनका उपयोग हो रहा हो उस समय उनमें हो सके उतना कम ढलान हो। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 46 | बुनियादी ढाँचे पर बस, ट्राम और हल्की रेल में चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थान | बस, ट्राम और हल्की रेल में चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थानों पर 'समतल और स्थिर' सतहों की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। | नियामक  विकल्प 2 | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 47 | बुनियादी ढाँचे पर हाथ दिखाकर रोककर चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थान | हाथ दिखाकर रोकने और सवारी करने की सेवाओं के संचालकों द्वारा उपयोग किया जाने वाले, चढ़ने (बोर्डिंग) के स्थानों से संबंधित आवश्यकताएँ | नियामक | प्रारंभ हो रहा है |
| 48 | पहुँच योग्य (एक्सेसिबल) टैक्सी कतार | वाहन की पहली और अंतिम जगह के पहुँच योग्य (एक्सेसेबल) होने और प्रवेश के रास्ते से जुड़े होने से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक  उप-विकल्प 1 | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 49 | सड़क पर यात्रियों के चढ़ने के लिए पहुँच योग्य (एक्सेसिबल) ज़ोन | वाहन की पहली और अंतिम जगह के पहुँच योग्य (एक्सेसेबल) होने और ठोस सतह के संकेतकों और सड़क किनारे (कर्ब) पर बने रैम्प्स से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक  उप-विकल्प 1 | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 50 | सड़क के अलावा किसी अन्य जगह पर स्थित कार पार्कों के बुनियादी ढाँचें में पार्क करने के लिए पहुँच योग्य (एक्सेसिबल) स्थान | यह आवश्यकताएँ कि, सड़क के अलावा किसी अन्य जगह पर स्थित सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों में, जहाँ पार्किंग के लिए पाँच से अधिक स्थान हैं वहाँ हर 50 पार्किंग स्थानों में से एक पहुँच योग्य (एक्सेसिबल) पार्किंग स्थान उपलब्ध होना अनिवार्य है। | नियामक  उप-विकल्प 1 | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 10 साल की तय समय सीमा |
| 51 | अक्षम व्यक्तियों के पहुँच योग्य रास्तों पर पकड़ी जा सकने वाली रेलिंग | पहुँच योग्य रास्तों पर लुमिनैंस कॉन्ट्रास्ट, उन रास्तों की ऊँचाई तथा आकार | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 52 | आवंटित स्थानों पर पकड़ी जा सकने वाली रेलिंग | आवंटित स्थानों पर लुमिनैंस कॉन्ट्रास्ट, उन रास्तों की ऊँचाई तथा आकार | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 53 | आवंटित स्थानों पर गतिशीलता सहायक (मोबिलिटी एड) का आना-जाना - पैसिव रीस्ट्रेंट्स | बसों, बड़ी नावों, ट्रामों तथा हल्की रेल के लिए आवंटित स्थानों में गतिशीलता सहायकों (मोबिलिटी एड्स) पर नियंत्रण से संबंधित दिशा-निर्देश। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 54 | आवंटित स्थानों में गतिशीलता सहायक (मोबिलिटी एड) का आना-जाना - एक्टिव रीस्ट्रेंट्स | एक्टिव रीस्ट्रेंट्स के सुरक्षित उपयोग के बारे में दिशा-निर्देश और यह सुनिश्चित करना कि गतिशीलता सहायक (मोबिलिटी एड्स) सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 55 | बुक की जाने वाली सेवाओं में उचित सीटें | यह ज़रूरी है कि अक्षमता वाले यात्री सार्वजिनक परिवहन वाहन के हिस्सों में स्थित ऐसी सीटें बुक कर सकें जो यात्रा करने के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ठीक हैं। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |
| 56 | स्टॉप्स पर परिवहन साधनों के ठहरने की अवधि | इस बारे में दिशा-निर्देश कि परिवहन साधनों को स्टॉप्स से तब तक रवाना नहीं होना चाहिए जब तक कि यात्री अच्छी तरह से बैठ न गए हों, जगह पर सुरक्षित रूप से स्थित न हो गए हों या आवंटित स्थानों पर सुरक्षित पोज़िशन में न आ गए हों अथवा सुरक्षित उतर न गए हों। | ग़ैर-नियामक | द होल जर्नी गाइड (The Whole Journey Guide) |
| 57 | ट्रेनों में सीढ़ियाँ | ट्रेनों की सीढ़ियों की हाथ से पकड़ी जाने वाली रेलिंग्स और पहुँच रास्तों के आकार, लूमिनैंस कॉन्ट्रास्ट से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक  उप-विकल्प 2 | प्रारंभ हो रहा है |
| 58 | बड़ी नावों में सीढ़ियाँ | बड़ी नावों की सीढ़ियों में हाथ से पकड़ी जाने वाली रेलिंग्स और पहुँच रास्तों के आकार, लूमिनैंस कॉन्ट्रास्ट से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 59 | बसों में सीढ़ियाँ | बसों की सीढ़ियों में हाथ से पकड़ी जाने वाली रेलिंग्स और पहुँच रास्तों के आकार, लूमिनैंस कॉन्ट्रास्ट से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | नई और बहुत ज़्यादा नवीकरण की गई/अपग्रेट की गई अचल संपत्तियाँ |
| 60 | द्वारमार्ग का कॉन्ट्रास्ट और ऊँचाई | कोचों को छोड़कर, सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए पहुँच (एक्सेस) मार्गों के दरवाज़ों के लिए लूमिनैंस कॉन्ट्रास्ट से संबंधित आवश्यकताएँ। | नियामक | मौजूदा तथा नई संपत्तियाँ - 5 साल की तय समय सीमा |